न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. तेजसिंह पुत्र लादूराम जाट 2. पप्पूराम पुत्र लादूराम जाट निवासी कांटिया तह. नांवा		1. पतासीदेवी पत्नी लादूराम जाट निवासी कांटिया तह. नांवा 2. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारी अधिकारो की घोषणा।

उपस्थित :– श्री हरिराम गुर्जर वकील वादी
श्री श्रवणराम जाट वकील प्रतिवादी 1

मुकदमां नम्बर :– 166/2017 निर्णय दिनांक :– 6.2.18

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण व प्रतिवादी 1 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा लादूराम पुत्र मोटाराम के वंशज हैं ग्राम कांटियां के खसरा नम्बर 168, 172, 173, 174 कुल रकबा 8.58 हैक्टयर में 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 275, 276, 279, 280, 281, 282 कुल रकबा 7.17 हैक्टयर में से 10–10 एवं खसरा नम्बर 62, 63, 64, 65 कुल रकबा 4.86 हैक्टयर में 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 383 रकबा 1.15 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि वादी के दादा मोटाराम के कब्जे काश्त व खातेदारी में रही हैं मोटाराम के स्वर्गवास होने के बाद उनके जाईन्दा पुत्र चोखाराम व वादीगण के पिता लादूराम जरिये उत्तराधिकारी काबिज खातेदार हुए हैं वादीगण के पिता लादूराम पुत्र मोटाराम आज से सात– आठ वर्ष पूर्व बिना बताऐ घर से निकल गये जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट वादी पप्पूराम ने दिनांक 20.06.2010 को पुलिस थाना मारोठ में दर्ज करवायी जो एम.पी.आर. संख्या 3/10 पुलिस थाना मारोठ में हुई हुई उक्त दिवस के पश्चात आज दिनांक तक वादीगण के पिता का कोई अता – पता नहीं चला हैं तथा वादीगण के पिता को जाने पहचाने वाले रिश्तेदारो व नातेदारो ने उक्त अवधि में जीवित या मृत नहीं देखा हैं। खातेदारी लादूराम पुत्र मोटाराम

उपखण्ड अधिकारी
नांवां (नागौर)

वादीगण के पिता के नाम दर्ज चली आ रही हैं जिसका उपयोग उपभोग करने में भारी परेशानी हो रही हैं तथा वादीगण सरकारी अनुदान व ऋण इत्यादि से वंचित होना पड़ रहा हैं जबकि वादीगण व प्रतिवादी 1 निरन्तर उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं। जिससे मजबुरन वादीगण ने यह वाद पेश किया हैं वादीगण ने वाद पेश कर उक्त विवादित आराजीयत में लादूराम पुत्र मोटाराम के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी 1 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी 1 ने इकबालिया जवाब पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया हैं तथा प्रतिवादी 2 का सम्मन तमील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही गई है, वादी की साक्ष्य में वादी व गवाह सागर पुत्र खीवा का शपथ पत्र पेश किया हैं तत्पश्चात वकुलाय की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजा का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम कांटिया की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में खसरा नम्बर 166, 172, 173, 174 कुल रकबा 8.58 हैक्टयर भूमि में चौखाराम, लादूराम पि. मोटा 1/3 हिस्सा दर्ज हैं, खसरा नम्बर 275, 276, 279, 280, 281, 282 कुल रकबा 7.17 हैक्टयर में 10–10 बीघा भूमि चौखा, लादूराम पि. मोटाराम दर्ज रिकार्ड हैं खसरा नम्बर 62, 63, 64, 65 कुल रकबा 4.86 हैक्टयर में भी संयुक्त रूप से लादूराम पुत्र मोटाराम दर्ज रिकार्ड हैं खसरा नम्बर 383 रकबा 1.15 हैक्टयर में भी लादूराम पुत्र मोटाराम की खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं। वादी ने गुमशुदा व्यक्ति की सूचना , एम.पी.आर. 3 दिनांक 20.06.2010 की छाया प्रति पेश की हैं जो पुलिस थाना मारोठ में दर्ज हुई है जिसमें लादूराम पुत्र मोटाराम जाट निवासी कांटिया के गुमशुदा होन बाबत रिपोर्ट दर्ज की गई हैं जिसके बाद आज दिनांक तक वादीगण के पिता लादूराम पुत्र मोटाराम के जिन्दा होने या मृत होने आदि की कोई सूचना नहीं आयी हैं न ही उक्त लादूराम के किसी ने कही देखे जाने की बात सामने आयी हैं पिछले 10 वर्षो से राजस्व रिकार्ड में लादूराम पुत्र मोटाराम का नाम ही खातेदारी में दर्ज रिकार्ड चला आ रहा हैं जिससे उसके वारिसान वादीगण व प्रतिवादी 1 को अपने पुश्तैनी हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि बाबत कोई सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ हैं न ही वादीगण अपने पुश्तैनी

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग करने सुधार ने व ऋण आदि प्राप्त करने में भारी परेशानी हो रही हैं तथा वादीगण की आजीविका का मात्र साधन यह आराजीयत हैं जिसके भारी नुक्शान होने के बावजूद कोई राजकीय अनुदान नहीं मिलने से वादीगण व प्रतिवादी 1 जो खातेदार लादूराम पुत्र मोटाराम के वारिसान हैं के जीवन निर्वाह करने का प्रश्न पैदा हो गया हैं। कानून भी किसी गुमशुदा व्यक्ति के 7 वर्ष तक कोई अता पता नहीं लगने व उसके जिन्दा होने या मृत होने की जानकारी नहीं हो, तो उसके मृत मान लिया जाता हैं। जहां तक भूमि की खातेदारी एवं उपयोग उपभोग का प्रश्न हैं तो वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी 1 गुमशुदा खातेदार लादूराम के पुत्र एवं पत्नी ही हैं जिससे उत्तराधिकारी में भी वादीगण व प्रतिवादी 1 लादूराम के प्रथम श्रेणी वारिसान हैं उक्त भूमि का सही उपयोग उपभोग एवं राज्य सरकार प्राप्त करने का अधिकार वादीगण को है। जिससे वादीगण का वाद साबित होता है, स्वीकार किऐ जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कांटिया के खसरा नम्बर 168, 172, 173, 174 कुल रकबा 8.58 हैक्टयर, खसरा नम्बर 275, 276, 279, 280, 281, 282 कुल रकबा 7.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 62, 63, 64, 65 कुल रकबा 4.86 हैक्टयर भूमि में दर्ज लादूराम पुत्र मोटाराम का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी 1 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार वादीगण व प्रतिवादी 1 का नाम दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 6.2.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा